भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1425

28 जुलाई 2026 को उत्तरार्थ

विषय: कृषि आदान लागत और ऋण में वृद्धि को कम करने के उपाय

1425. श्री विजय कुमार हाँसदाकः

क्या कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को पिछले तीन वर्षों में खाद, बीज, डीज़ल और उपकरण जैसी कृषि की लागत में हुई भारी बढ़ोतरी और छोटे व सीमांत किसानों की शुद्ध आय पर इसके प्रभाव के बारे में जानकारी है;

(ख) इस अवधि के दौरान विभिन्न राज्यों में कृषि कार्य करने वाले प्रत्येक परिवार पर औसत ऋण का संपूर्ण ब्यौरा क्या है और क्या यह आर्थिक दबाव किसानों को लगातार ऋण के जाल में धकेल रहा है; और

(ग) सरकार का कृषि की बढ़ती लागत को कम करने और किसानों पर ऋण का बोझ कम करने के लिए किन विशेष संस्थागत उपायों, सब्सिडी में परिवर्तन और ऋण-राहत योजनाओं को कार्यान्वित करने का विचार है?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क): कृषि का राज्य विषय है। कृषि इनपुट की मूल्य वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए केंद्र और राज्य सरकारें समय-समय पर उचित उपाय करती हैं। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय किसानों के कल्याण को बढ़ाने और कृषि को लाभकारी बनाने के लिए उचित नीतिगत उपायों, बजट सहायता और विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के माध्यम से राज्यों का सहायता करता है।

सरकार ने कृषि के संपूर्ण क्षेत्र को कवर करने के लिए विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों को लागू किया है, जिसमें ऋण, बीमा, आय सहायता, अवसंरचना, बागवानी सहित फसलें, बीज, मशीनीकरण, विपणन, जैविक और प्राकृतिक खेती, किसान समूह, सिंचाई, विस्तार, फसलों की खरीद, डिजिटल कृषि आदि शामिल हैं। इसके अलावा, सरकार अंतरराष्ट्रीय उर्वरक बाजारों में अस्थिरता के बावजूद किसानों को उचित मूल्य पर उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सब्सिडी प्रदान करती है। इसके अलावा भारत सरकार किसानों को लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने और उपभोक्ताओं को सस्ती कीमतों पर आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से एकीकृत प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (पीएम-आशा) भी लागू कर रही है। इस योजना के घटकों में मूल्य समर्थन योजना (पीएसएस) और मूल्य स्थिरीकरण निधि (पीएसएफ) के साथ-साथ भावांतर भुगतान योजना (पीडीपीएस) और बाजार हस्तक्षेप योजना (एमआईएस) शामिल हैं। इन सभी हस्तक्षेपों का उद्देश्य सीमांत और छोटे किसानों सहित किसानों की आय में सुधार करना, कृषि उत्पादकता में वृद्धि करना, खेती की लागत को कम करना, फसल विविधीकरण को बढ़ावा देना, लाभकारी रिटर्न सुनिश्चित करना और कृषि को अधिक सतत बनाना है।

सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) द्वारा आयोजित कृषि परिवारों के स्थिति आकलन सर्वेक्षण (एसएएस) के माध्यम से देश में कृषि परिवारों की औसत मासिक आय समय-समय पर अनुमानित की जाती है। सर्वेक्षण के नवीनतम एनएसएस 77वें दौर (जनवरी, 2019 - दिसंबर, 2019) के अनुसार, देश के ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न स्रोतों से प्रति कृषि परिवार औसत मासिक आय 10,218 रुपये प्रति माह अनुमानित है। एसएएस निष्कर्षों के अनुसार, प्रति कृषि परिवार औसत मासिक आय कृषि वर्ष 2012-13 में 6,426 रुपये से बढ़कर वर्ष 2018-19 में 10,218 रुपये हो गई है।

(ख) और (ग): राष्ट्रीय सांख्यिकी सर्वेक्षण (एनएसएस) के 77वें दौर (जनवरी, 2019 - दिसंबर, 2019) के दौरान सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) द्वारा देश के ग्रामीण क्षेत्रों में किए गए कृषि परिवारों के स्थिति आकलन सर्वेक्षण (एसएएस) के अनुसार, देश भर में प्रति कृषि परिवार औसतन बकाया ऋण की अनुमानित राशि 74,121 रुपये है। कृषि परिवारों के औसत बकाया ऋण का राज्यवार विवरण अनुबंध में दिया गया है।

दीर्घकालिक आधार पर ऋण पहुंच में सुधार के लिए, सरकार अखिल भारतीय स्तर पर विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में संशोधित ब्याज अनुदान योजना (एमआईएसएस) के रूप में जानी जाने वाली 100% केंद्र द्वारा वित्त पोषित केंद्रीय क्षेत्र योजना को लागू कर रही है। इस योजना का उद्देश्य किसानों को उनकी कार्यशील पूंजी की आवश्यकताओं के लिए किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) के माध्यम से लिए जाने वाले अल्पकालिक कृषि ऋणों को रियायती ब्याज दरों पर उपलब्ध करना है। केसीसी-एमआईएसएस योजना के कारण, किसानों को उनकी प्रचालन संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए आसान और प्राप्य ऋण तक पहुंच अत्यधिक बढ़ गई है। इस योजना के तहत, किसानों को 7% की रियायती ब्याज दर पर केसीसी ऋण प्राप्त होता है। इसे सुविधाजनक बनाने के लिए, वित्तीय संस्थानों को 1.5% की अग्रिम ब्याज सहायता (आईएस) प्रदान की जाती है। इसके अतिरिक्त, जो किसान अपने ऋणों का तुरंत पुनर्भुगतान करते हैं, उन्हें 3% प्रॉम्प्ट रिपेमेंट इंसेंटिव (पीआरआई) मिलता है, जिससे ब्याज दर प्रभावी रूप से घटकर 4% प्रति वर्ष हो जाती है। वर्ष 2014-15 से 2025-26 (अनंतिम) के दौरान संस्थागत कृषि ऋण का समग्र प्रवाह 8.5 लाख करोड़ से बढ़कर 28 लाख करोड़ से अधिक हो गया है, जबकि वर्ष 2024-25 के दौरान छोटे और सीमांत किसानों के लिए वार्षिक संस्थागत ऋण प्रवाह 3.47 लाख करोड़ से बढ़कर 14.77 लाख करोड़ हो गया है।

इसके अलावा, छोटे और सीमांत किसानों के बीच सुनिश्चित आय सहायता प्रदान करने और वित्तीय तनाव को कम करने के लिए, सरकार प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) योजना, एक 100% केंद्रीय क्षेत्र योजना को कार्यान्वित कर रही है। योजना के तहत, पात्र किसान परिवारों को प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) के माध्यम से तीन समान किस्तों में प्रति वर्ष ₹ 6,000 की आय सहायता प्राप्त होती है। यह योजना कृषि और घरेलू जरूरतों के लिए समय पर तरलता प्रदान करती है, अनौपचारिक ऋण पर निर्भरता को कम करने में मदद करती है, और किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) जैसी संस्थागत ऋण पहलों का पूरक है। पीएम-किसान योजना के तहत, सरकार ने शुरुआत से लेकर अब तक 23 किस्तों के माध्यम से 4.47 करोड़ रुपये से अधिक का वितरण किया है। इसके अतिरिक्त, सरकार ने वर्ष 2018-19 से सभी अनिवार्य खरीफ, रबी और अन्य वाणिज्यिक फसलों के लिए उत्पादन लागत पर न्यूनतम 50 प्रतिशत के रिटर्न के साथ एमएसपी में वृद्धि की है।

अनुबंध

लोक सभा के अतारांकित प्रश्न संख्या 1425 (जिसका उत्तर 28.07.2026 को दिया जाना है) के भाग (ख) और (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध, जो "कृषि इनपुट लागत और कर्ज में वृद्धि को कम करने के उपाय" से संबंधित है।

क्र. सं.	**राज्य/पूर्वोत्तर राज्यों का समूह / संघ राज्य क्षेत्रों का समूह**	**प्रति कृषि परिवार बकाया ऋण की औसत राशि *(रु.)***
1	आंध्रप्रदेश	2,45,554
2	अरुणाचल प्रदेश	3,581
3	असम	16,407
4	बिहार	23,534
5	छतीसगढ़	21,443
6	गुजरात	56,568
7	हरियाणा	1,82,922
8	हिमाचल प्रदेश	85,825
9	जम्मू और कश्मीर	30,435
10	झारखंड	8,415
11	कर्नाटक	1,26,240
12	केरल	2,42,482
13	मध्य प्रदेश	74,420
14	महाराष्ट्र	82,085
15	मणिपुर	5,551
16	मेघालय	2,237
17	मिजोरम	23,485
18	नागालैंड	1,750
19	उड़ीसा	32,721
20	पंजाब	2,03,249
21	राजस्थान	1,13,865
22	सिक्किम	32,185
23	तमिलनाडु	1,06,553
24	तेलंगाना	1,52,113
25	त्रिपुरा	23,944
26	उत्तराखंड	48,338
27	उत्तर प्रदेश	51,107
28	पश्चिम बंगाल	26,452
	पूर्वोत्तर राज्यों का समूह	**10,034**
	संघ राज्य क्षेत्रों का समूह	**25,629**
	अखिल भारतीय	**74,121**

स्रोत: एनएसएस रिपोर्ट संख्या 587: ग्रामीण भारत में कृषि परिवारों एवं भूमि और पशुधन धारकों की स्थिति का आकलन, 2019
